

हरियाणा सरकार
शहरी स्थानीय निकाय विभाग
अधिसूचना

दिनांक 8 जुलाई, 2016

संख्या 18/14/2016-3क1.— हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24), की धारा- 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 18/14/2016-3क-1, दिनांक 08 फरवरी, 2016 के सन्दर्भ में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 12/10/1979-2क II, दिनांक 21 फरवरी, 1980 में यथा परिनिश्चित वर्तमान सीमाओं तथा इसमें नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अब प्रस्तावित सीमा के क्षेत्र को जिला सोनीपत की नगर पालिका, खरखौदा के भीतर सम्मिलित करने की घोषणा करते हैं।

सीमाओं की अनुसूची

उत्तर:- रिवेन्यू स्टेट खरखौदा के मुस्तिल/किला नं० 70/21 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से प्रारम्भ होकर खरखौदा खाण्डा रोड को पार करते हुए बाईपास के साथ-2 सोनीपत रोड की तरफ चलते हुए मुस्तिल/किला नं० 86/1,2,3,4,5 87/1,2,3,4,5 88/1,2,3,4,5, 89/1,2,3,4,5, 90/1,2,3,4,5 व 91/1,2,3,4,5 के ऊपरी उत्तरी सिरे पर से होती हुई मुस्तिल/किला नं० 92/1 के उत्तरी पूर्वी कोने तक।

पूर्व:- रिवेन्यू स्टेट खरखौदा के मुस्तिल/किला नं० 92/1 के उत्तर पूर्वी कोने से प्रारम्भ होकर खरखौदा सोनीपत रोड को पार करते हुए बाईपास के साथ-2 मुस्तिल/किला नं० 92/2,9,13,18,23 99/4,7,15,16 के मध्य से गुजरती हुई 99/25 के दक्षिणी पूर्वी कोने तक पुनः 99/25 के दक्षिणी पूर्वी कोने से प्रारम्भ होकर 123/5,6,15,16,25 132/5,6,15,16,25 153/5,6,15,16,25 व 160/5,6,15 के पूर्वी सिरे से गुजरती हुई व खरखौदा दिल्ली रोड को पार करते हुए मुस्तिल/किला नं० 160/16 के पूर्वी दक्षिणी कोने तक।

दक्षिण:- रिवेन्यू स्टेट खरखौदा के मुस्तिल/किला नं० 160/16 के पूर्वी दक्षिणी कोने से प्रारम्भ होकर मुस्तिल/किला नं० 160/25,24 181/3,2,1 180/6,7,8,9,11 179/15,14,13, 19,20 178/16,24,23 188/2,1 व 189/5 के मध्य से गुजरती हुई व 189/4,3,2,1 के दक्षिणी सिरे से गुजरती हुई खरखौदा बरोणा रोड को पार करते हुए बाईपास के साथ-2 मुस्तिल/किला नं० 190/5,4 व 176/23,19,11 के मध्य से गुजरती हुई मुस्तिल/किला नं० 176/10 के दक्षिणी पूर्वी कोने तक।

पश्चिम:- रिवेन्यू स्टेट खरखौदा के मुस्तिल/किला नं० 176/10 के दक्षिणी पूर्वी कोने से प्रारम्भ होकर खरखौदा सांपला रोड को पार करते हुए 175/6,5 व 166/24,17,14,8,3 के मध्य से गुजरती हुई बाईपास के साथ-2 व 147/23 के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक व पुनः 147/23 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से मुस्तिल/किला नं० 147/18,13,8,2 138/22,19,12, 9,2 117/22,19,12,9,2 व 105/22,19,12,9 के मध्य से गुजरती हुई व खरखौदा रोहतक रोड के साथ-साथ 105/10 106/5,4 व 85/23,22 के मध्य से गुजरती हुई खरखौदा रोहतक रोड को पार करते हुए 85/18,14,7,5 के मध्य से गुजरती हुई रिवेन्यू स्टेट खरखौदा के मुस्तिल/किला नं० 70/21 के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक, जो कि प्रारम्भिक बिन्दू है।

अनिल कुमार,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 8th July, 2016

No. 18/14/2016-3C1.— In pursuance of the provision of Sub-section (3) of Section - 4 of the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973) and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department Notification No. 18/14/2016-3C1, dated 08th February, 2016, the Governor of Haryana hereby include within the Municipal Committee, Kharkhoda in District, Sonipat the area lying between the existing boundaries as defined in Haryana Government, Urban Local Bodies Department. Notification No. 12/10/79/ 2- C II, Dated 21st February, 1980 and the boundaries now proposed as specified in the schedule here to be appended.

Schedule of Boundaries

North: To start from South West Corner of Mustil/Kila No. 70/21 of Revenue estate Kharkhoda and cross Kharkhoda-Khanda road along bye pass towards Sonapat Road & upper north line of Mustil/Kila No. 86/1,2,3,4,5 87/1,2,3,4,5 88/1,2,3,4,5 89/1,2,3,4,5 90/1,2,3,4,5 and 91/1,2,3,4,5 and to north east corner of Mustil/Kila No. 92/1.

East: To start from North-East Corner of Mustil/Kila No. 92/1 of Revenue estate Kharkhoda and cross Kharkhoda-Sonapat road along bye pass and middle of Mustil/Kila No. 92/2,9,13,18,23 99/4,7,15,16 & to South-east corner of Mustil/Kila No. 99/25 & then start from South-East corner of 99/25 & to pass the east line of Mustil/Kila No. 123/5,6,15,16,25 132/5,6,15,16,25 153/5,6,15,16,25 and 160/5,6,15 along bye pass and cross Kharkhoda-Delhi road upto east south corner of Mustil/Kila No. 160/16.

South: To start from East-South corner of Mustil/Kila No. 160/16 of Revenue estate Kharkhoda to pass the centre of Mustil/Kila No. 160/25,24 181/3,2,1 180/6,7,8,9,11 179/15,14,13,19,20 178/16,24,23 188/2,1 and 189/5 and to cross south line of 189/4,3,2,1 along bye pass and pass the Kharkhoda-Barona road and cross the centre line of Mustil/Kila No. 190/5,4 176/23,19,11 & upto south east corner of Mustil/Kila No. 176/10.

West: To start from South-East corner of Mustil/Kila No. 176/10 of Revenue estate Kharkhoda & to pass the Kharkhoda-Sampla road & cross the middle of Mustil/Kila No. 175/6,5 & 166/24,17,14,8,3 along the bye pass upto South-West corner of Mustil/Kila No. 147/23 & then South-west corner of Mustil/Kila No. 147/23 & pass the centre of Mustil/Kila No. 147/18,13, 8, 2 138/22,19,12,9,2 117/22,19,12,9,2 and 105/22,19,12,9 and then along Kharkhoda-Rohtak Road & cross the middle of 105/10 106/5,4 & 85/22,23 & pass the Kharkhoda-Rohtak Road & cross the middle of Mustil/Kila No. 85/18,14,7,5 and upto South-West corner of Mustil/Kila No. 70/21 of Revenue estate Kharkhoda, limit of Municipal Committee Kharkhoda *i.e.* starting point.

ANIL KUMAR,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 जुलाई, 2016

संख्या 18/84/2016-3क1.— हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24), की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 9310-2क 11-76/29023, दिनांक 02 सितम्बर, 1976 में यथा परिनिश्चित वर्तमान सीमा और नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अब प्रस्तावित सीमा के क्षेत्र को जिला करनाल की नगरपालिका, असन्ध में शामिल करने का अपना आशय घोषित करते हैं।

उक्त नगरपालिका के स्थानीय क्षेत्र, जिसके सम्बन्ध में यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, का कोई भी निवासी जिसे उक्त प्रस्तावित क्षेत्र के सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति है। अपने आक्षेप, यदि कोई हो, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि के भीतर उपायुक्त, करनाल के माध्यम से प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़ को लिखित में भेज सकता है। इस अवधि के समाप्त होने उपरान्त राज्य सरकार ऐसे आक्षेपों पर विचार नहीं करेगी।

सीमाओं की अनुसूची

उत्तर:— असन्ध के राजस्व संपत्ति की उत्तरी पश्चिमी कोने से मुरबा/किला नं० 156/3 से शुरू हो कर उत्तरी सीमा के साथ साथ पूर्व की दिशा में आगे बढ़ते हुए किला नं० 156/4, 5, 157/1, 2, 3, 4, 5, 158/1, 2, 3, 4, 5 और खिजराबाद सड़क को पार करके गांव खिजराबाद की तरफ आगे बढ़ते हुए किला नं० 142/25मिन, 16मिन तक। इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर उत्तरी सीमा के साथ साथ किला नं० 142/16मिन, 141/20, 19, 18, 17, 16, 140/20, 19, 18, 17, 16 की असन्ध के राजस्व सम्पत्ति तक। इसके बाद डेरा गामा रोड़ को पार करते हुए फिर डेरा गामा रोड़ के दक्षिण उत्तर दिशा में किला नं० 139/11, 10, और फिर उत्तर पूर्व दिशा में किला नं० 139/10, 9 के साथ आगे बढ़ते हुए, फिर राजस्व सम्पत्ति असन्ध में उत्तर दक्षिण दिशा में किला नं० 139/9, 12 तक। इसके बाद पूर्व दिशा में उत्तरी सीमा के साथ-साथ किला नं० 139/18, 17, 16, 138/20, 19, 18, 17, 16 और 137/20, 19, 18मिन और फिर रत्तक रोड़ को पार करते हुए और रत्तक रोड़ के साथ दक्षिण से उत्तर के किला नं० 137/13मिन, 8मिन, 4मिन, 130/4/2, 17मिन और राजस्व सम्पत्ति असन्ध में पूर्व दिशा की ओर किला नं० 16 तक, और फिर पूर्व दिशा के साथ उत्तरी सीमा के साथ किला नं० 130/16, 131/20, 19, 18

और फिर उत्तर से दक्षिण दिशा के किला नं० 131/18, 23 और इसके बाद राजस्व सम्पत्ति के उत्तर पूर्वी सीमा की ओर किला नं० 136/4, 5, 135/1, 2, 3, 4, 5 तक।

पूर्व:- उत्तर पूर्वी कोने से शुरू करते हुए राजस्व सम्पत्ति असन्ध के किला नं० 135/5 और दक्षिण दिशा में पूर्वी सीमा के साथ किला नं० 135/24, 165/4, 7, 14, 17, 24 राजस्व संपत्ति असन्ध तक। इसके बाद पश्चिम दिशा में किला नं० 165/24, 23, 22, 21 और किला नं० 164/25 के कोने से पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए पूर्वी सीमा के साथ किला नं० 173/5, 6, 15, 16, 25 व पुरानी सीमा में किला नं० 199/5, 6, 15, 16, 25, 219/5, 6, 15, 16, 25 तक। इसके बाद किला नं० 219/25 के कोने से मुड़कर पूर्व दिशा में किला नं० 241/1, 2 और फिर पश्चिम दिशा में मुड़कर पूर्वी सीमा के साथ किला नं० 241/2, 9, 12, 19, 22 जो सालवन रोड को पार करते हुए पूर्व दिशा में राजस्व सम्पत्ति असन्ध तक है। इसके बाद किला नं० 241/23 और 261/3 से दक्षिण दिशा में पूर्वी सीमा के किला नं० 261/3, 8, 13, 18, 23 और फिर पश्चिम दिशा में मुड़कर किला नं० 261/23 से पुरानी सीमा के किला नं० 261/23, 22, 21 से लगातार पश्चिम दिशा में किला नं० 263/21 तक, जिसमें किला नं० 262/25, 24, 23, 22, 21 व 263/25, 24, 23, 22, 21 राजस्व सम्पत्ति असन्ध में है। फिर दक्षिण दिशा में मुड़कर पूर्वी सीमा के साथ-साथ किला नं० 285/5, 6, 15, 16, 25, 307/5, 6, 15, 16, 25, 330/5, 6, 15, 16, 25 और 351/5, 6, 15, 16, 25 में राजस्व सम्पत्ति असन्ध तक।

दक्षिण:- दक्षिण पूर्व कोने से शुरू होते हुए किला नं० 351/25 जोकि राजस्व सम्पत्ति असन्ध का है। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर दक्षिणी सीमा के साथ किला नं० 351/25, 24, 23 सफीदो रोड पार करके और फिर सफीदो रोड के साथ किला नं० 381/1, 8मिन और पश्चिम दिशा में मुड़कर किला नं० 381/8मिन, 9, 10, 380/6 और फिर उत्तर दिशा की ओर किला नं० 380/6, 5, 352/25 राजस्व सम्पत्ति असन्ध तक। इसके बाद किला नं० 352/25 के कोने से पश्चिम दिशा की ओर पुरानी सीमा के किला नं० 353/25 तक और पश्चिम दिशा से दक्षिणी सीमा के साथ किला नं० 353/25, 24, 23, 22, 21, 354/25, 24, 23, 22, 21 और किला नं० 355/25, 24, 23 तक जहां पर डेरा गुजरखिया रोड पर करते हुए किला नं० 355/23 और रोड के साथ-साथ उत्तर दिशा में किला नं० 355/23, 18मिन, 14, 7मिन, 4मिन, 326/25, 16मिन, 15मिन, 6मिन और उस बिन्दु पर जहां किला लाईन 326/5 और 326/6 मुरबा लाईन पर मिलती है और इसके बाद उत्तर दिशा में किला नं० 327/10, 1, 310/21, 20, 11, 10 राजस्व सम्पत्ति असन्ध तक। इसके बाद किला नं० 310/10 के कोने से जहाँ पर किला नं० 310/10 और 311/6 ड्रेन पर मिलते हैं, से किला नं० 311/5, 3, 2, 1, की ओर मुड़कर जींद रोड पर मिलते हुए, जींद रोड के साथ किला नं० 311/10 और 312/6 के कोने से दक्षिण दिशा के किला नं० 312/6, 15, 16 और फिर पश्चिम दिशा में मुड़कर किला नं० 312/16, 17, 18मिन जो राजस्व सम्पत्ति असन्ध में बदराला गांव रोड पर मिलते हैं तक।

पश्चिम:- दक्षिण पश्चिम कोने से शुरू होते हुए किला नं० 312/18मिन जो गांव बदराला रोड पर मिलते हैं, फिर उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए जींद रोड को पार करते हुए किला नं० 312/14, 7 राजस्व संपत्ति असन्ध तक। इसके बाद जींद रोड को पार करते हुए पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उत्तर दिशा में किला नं० 312/7मिन, 4, 280/24, 17, 14, 7, 4 से मुड़कर पश्चिम दिशा में किला नं० 266/23 तक और उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए पश्चिमी सीमा के साथ-साथ किला नं० 266/23, 18, 13, 8, 3, व 236/23, 18 और फिर ड्रेन की तरफ मुड़कर किला नं० 236/13मिन तक और फिर उत्तर दिशा में ड्रेन के साथ-साथ किला नं० 236/13मिन, 8मिन, 2मिन, किला नं० 223/22, 21मिन, 20मिन, 11मिन, 224/15मिन, 6मिन, 5, 4मिन, 191/24मिन, 17, 18मिन, 13मिन, 8, 3, 181/23, 18, 13, 8, 3 और 156/23, 18, 13, 8, 3, व उत्तर पश्चिम कोने के किला नं० 156/3 तक है, जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है।

अनिल कुमार,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 8th July, 2016

No. 18/84/2016-3C1.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Haryana Municipal Act 1973(Act 24 of 1973), the Governor of Haryana hereby declares his intension to include within Municipal Committee of Asandh in District Karnal the area lying between the existing boundary as defined in erstwhile Haryana Government, Urban Local Bodies Department Notification No. 9310-2C II-76/29023, dated 02nd September, 1976 and the boundaries now proposed as specified in the schedule given below.

Any inhabitant in the said Municipal Committee of the Local area in respect of which this notification is published] who objects to the proposed inclusion of the said area, may submit his objection, if any, in writing through the Deputy Commissioner, Karnal to the Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies

